फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय, जयपुर ग्रामीण

ताराचन्द व अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य

संख्या /वर्ष : 80 /2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12-3-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता सुरेश चन्द शर्मा हाजिर। अप्रार्थीगणों को तलबी जरिये रजि. डाक हो चुकी है। जिसकी डाक रसीदें मूल वाद के संलग्न हैं रजि. डाक भेजे एकमाह से अधिक समय होने के उपरान्त भी वापस अदम तामील नहीं लौटी है अतः तामील सम्यक मानी जाती है। सम्यक तामील होने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण हाजिर नहीं अतः अप्रार्थीगणों (1) व (2) के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र पर बहस के दौरान प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृति करते हुए बताया कि RG उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, जयपुर ग्रामीण	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्रार्थना पत्र की मद संख्या (2) में वर्णित भूमि प्रार्थीगणों एवं अप्रार्थी संख्या (1) की पैतृक सम्पत्ति है, जो उनके पितामह स्व. रूपा के देहान्त के पश्चात विरासत के आधार पर अप्रार्थी संख्या (1) के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है।
		~~अब~~ यह कि अप्रार्थी संख्या (1) ~~सम्पूर्ण~~ विवादित आराजीयात के सम्पूर्ण हिस्से के बेचान पर आमादा है, यदि अप्रार्थी ने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान कर दिया तो प्रार्थीगणों को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। पैतृक सम्पत्ति होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः अप्रार्थी संख्या (1) को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाना आवश्यक है।
		(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जयपुर (ग्रामीण)

ताराचन्द व अन्य बनाम छोटूनारायण व अन्य

: 80 /20 23

संख्या /वर्ष

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	प्रार्थी की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह पाते हैं कि प्रार्थना पत्र के चरण संख्या (2) में वर्णित विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या (1) को विरासत के आधार पर अपने पिता एवं प्रार्थीगणों के पितामह से प्राप्त हुई है, जिसमें प्रार्थीगणों का पैतृक सम्पत्ति होने के कारण जन्मजात हिस्सा एवं हक निहित है, अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगणों के पक्ष में सिद्ध होता है।	
	यदि अप्रार्थी संख्या (1) विवादित भूमि के सम्पूर्ण हिस्से का अन्तरण कर देता है तो प्रार्थीगणों को अपूर्णीय क्षति कारित होगी।	
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		अतः अप्रार्थी संख्या ① लक्ष्मीनारायण पुत्र रूपा जाति माली, को तफ़सील वाद इस आदेश से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात ख.नं. 344/2 रकबा 0.21 है., ख.नं. 372/2 रकबा 846/2 रकबा 0.07 है., ख.नं. 897/2 रकबा 0.09 है. ख.नं. 374/2 रकबा 0.06 है. कुल किता 05 कुल रकबा 0.41 है. का अपने को प्राप्त शेयर हिस्सा 1/5 से अधिक का बेचान/व्ययन न करें/ एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो।
		(हस्ताक्षर) 12/3/24 उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)
		यह आदेश आज दिनांक 12/3/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।
		(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)